छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर
आदेश

रायपुर, दिनांक 10.08.2005

क्रमांक / /आ.पर्या./2005 शासन ने यह निर्णय लिया है कि ग्राम कोटराभांठा, कुहेरा एवं राखी को केन्द्र बिन्दु मानकर एक उप नगर बसाया जाना है। अतः रायपुर जिले की आरंग तहसील के निम्नलिखित 7 ग्रामों में जमीन की खरीदी की रजिस्ट्री आगामी आदेश तक बिना कलेक्टर की अनुमति के न हो ।

तहसील का नाम	ग्राम का नाम
1. आरंग	1. कोटराभांठा
	2. कयाबांधा
	3. कुहेरा
	4. खपरी
	5. नवागॉव
	6. बरौंदा
	7. राखी

(पी. जॉय उम्मेन)
प्रमुख सचिव
आवास एवं पर्यावरण विभाग

क्रमांक /417/आ.पर्या./2005 रायपुर, दिनांक .08.2005

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय रायपुर
2. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, छत्तीसगढ शासन, मंत्रालय, रायपुर
3. कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

प्रमुख सचिव
आवास एवं पर्यावरण विभाग

अवकाश से लौटने पर श्री बी. के. एस. रे को आगामी आदेश षि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, कृषि सहकारिता के पुनः छत्तीसगढ़ शासन में पदस्थ किया जाता है.

अवकाश काल में श्री बी. के. एस. रे को अवकाश वेतन व सी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. के. एस. रे अवकाश ा जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

श्री . के. एस. रे के अवकाश की अवधि में उसका कार्य ा. मिंज, सचिव, अनुसूचित जाति, जनजाति अपने वर्तमान के साथ-साथ सम्पादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. सूर्य, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 जनवरी 2002

क्रमांक 10/स/आ. प./2002.—चूंकि राज्य सरकार का यह न हो गया है कि लोक हित में यह समीचीन है कि प्रदेश की ती को एक विशेष क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाये.

अतएव छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 3 सन् 1973) की धारा 64 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त ां को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा उक्त राजधानी क्षेत्र विशेष क्षेत्र के रूप में अभिहित करती है, जो "राजधानी क्षेत्र" से जाना जायेगा और उसकी सीमाएं रायपुर जिले के ग्रामों से, ी गई अनुसूची अनुसार निर्धारित होंगी.

अनुसूची

राजधानी क्षेत्र की सीमाएं

ी—	तहसील रायपुर के ग्राम कचना (प.ह.नं. 110), पिरदा (प.ह.नं. 111), तुलसी (प.ह.नं. 111), तहसील आरंग के ग्राम कुरूद (प.ह.नं. 74), दरबा (प.ह.नं. 75), बकतरा (प.ह.नं. 75), खुटेरी (प.ह.नं. 75), जरौद (प.ह.नं. 67) एवं रीवा (प.ह.नं. 67) की उत्तरी सीमा तक.
पश्चिम में—	तहसील रायपुर के ग्राम कचना (प.ह.नं. 110), पिरदा (प.ह.नं. 111), सेरीखेड़ी (प.ह.नं. 112), धरमपुरा (प.ह.नं. 115), टेमरी (प.ह.नं. 115), बोरियाकला (प.ह.नं. 117), धनेली (प.ह.नं. 117), भटगांव (प.ह.नं. 116), तहसील अभनपुर के ग्राम निमोरा (प.ह.नं. 136), बेन्द्री (प्र.ह.नं. 135), सिंगारभाठा (प.ह.नं. 138) एवं बकतरा (प.ह.नं. 134), की पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण में—	तहसील अभनपुर के ग्राम बकतरा (प.ह.नं. 134), झांकी (प.ह.नं. 139), मुड़पार उर्फ भेलवाडीह (प.ह.नं. 139), पचेड़ा (प.ह.नं. 140), कुर्रु (प.ह.नं. 141), चेरिया (प.ह.नं. 141 एवं नवागांव (प.ह.नं. 142) की दक्षिणी सीमा तक.
पूर्व में—	तहसील आरंग के ग्राम रीवा (प.ह.नं. 67), गुजरा (प.ह.नं. 68), धमनी (प.ह.नं. 69), गनौद (प.ह.नं. 143), तहसील अभनपुर के ग्राम खरखराडीह (प.ह.नं. 142) एवं नवागांव (प.ह.नं. 142) की पूर्वी सीमा तक.

Raipur, the 8th January 2002

No. 10/H.E.D./2002.—Whereas the State Government is satisfied that it is expedient in the public interest that the State Capital Area, should be developed as a special area.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) and (2) of Section 64 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), the State Government, hereby designates the said Capital Area, as a special area which shall be known by the name of "Capital Area" and the limits of the villages in Raipur district, shall be as defined in the schedule below.

SCHEDULE

Limits of Capital Area

North :—	Village Kachna (P. H. No. 110), Pirda (P. H. No. 111), Tulsi (P.H. No. 111) of Raipur Tehsil, Village Kurud (P. H. No. 74) Darba (P. H. No. 75), Baktara (P. H. No. 75), Kuteri (P. H. No. 75),

Jarod (P. H. No. 67), & Northern limit of Village Reewa (P. H. No. 67) of Arang Tehsil.

West :— Village Kachna (P. H. No. 110), Pirda (P. H. No. 111), Seri Khedi (P. H. No. 112), Dharmapura (P. H. No. 115), Temri (P. H. No. 115), Boriakalan (P. H. No. 117), Dhaneli (P. H. No. 117), Bhatgaon (P. H. No. 116) of Raipur Tehsil, Village Nimora (P. H. No. 136), Bendri (P. H. No. 135), Singarbhata (P. H. No. 138) & Western limit of Village Baktara (P. H. No. 134) of Abhanpur Tehsil.

South :— Village Baktara (P. H. No. 134), Jhanki (P. H. No. 139), Mudpar/Bhelwadih (P. H. No. 139), Pacheda (P. H. No. 140), Kurru (P. H. No. 141), Cheria (P. H. No. 141) & Sothe limit of Village Nawagaon (P. H. No. 14 of Abhanpur Tehsil.

East :— Village Reewa (P. H. No. 67), Gujra (P. H. No. 68), Dhamni (P. H. No. 69), Ganod (P. H. No. 143), of Arang Tehsil, Villag Kharkharadih (P. H. No. 142) & Eastern limit of Village Nawagaon (P. H. No. 142) of Abhanpur Tehsil.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढांड, सचि

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2001

क्रमांक एफ 6/106/2001/वा.क./पांच.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड का गठन निम्नानुसार करता है :—

1.	मंत्री वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग.	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव, (वित्त)	सदस्य
3.	सचिव, अ.जाति/अनु.ज.जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग.	सदस्य
4.	सचिव वाणिज्यक कर	सदस्य
5.	सचिव, वाणिज्यिक कर (पंजीयन एवं आबकारी) व पदेन आबकारी आयुक्त.	प्रबंध संचालक

रायपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2001

क्रमांक एफ/6-98/2001/वा. कर (आब.)/पांच.—राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित जिला आबकारी अधिकारियों को तदर्थ रूप से सहायक आयुक्त, आबकारी के पद पर वेतनमान रुपये 10,000-325-15,200 में पदोन्नत किया जाकर, उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक उनके नाम के सामने कॉलम 4 में दर्शाये अनुसार पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ शासन,
आवास, पर्यावरण,
नगरीय प्रशासन व विकास

//अधिसूचना//

क्रमांक 42 /स/आपर्यानप्रविवि/2002 रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2002

छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973, (23 सन् 1973) की धारा 24 (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित विशेष क्षेत्र में, राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि को, छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 प्रभावशील करने की तिथि निश्चित करती है।

क्रमांक	नाम	क्षेत्र
(1)	"राजधानी क्षेत्र"	शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 10/स/आ.प 2002 दिनांक 8 जनवरी 2002 में दर्शित सीमाएं

(विवेक ढॉड)
सचिव,
आवास, पर्यावरण,
नगरीय प्रशासन व विकास,
मंत्रालय–रायपुर

पृ. क्रमांक 43 /स/आ.पर्या./2002 रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2002

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, आवास एवं पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर ।
2. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री आवास, नगरीय प्रशासन विकास, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर ।
3. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर ।
4. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर ।
5. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर ।
6. प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर ।

Government Of Chhattisgarh
Housing and Environment Department
D.K.S. Bhawan, Mantralay, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Date 7 /07/2006

No. 1385 /1274/32/2002 - In exercise of powers conferred by sub section (1) of Section 64 and sub section (1) of Section 65 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No.23 of 1973) the State Government hereby makes the following amendments in the Notification No. 10/स/आ.प./2002 dated 8th January 2002 :-

1. That the special area constituted by the said notification shall be known as "Naya Raipur" in place of "Capital Area"
2. That the "Capital Area Development Authority" constituted for such special area shall be known as "Naya Raipur Development Authority" under sub section (1) of Section 65 of the Act.

By order and in the name of Governor
Government of Chhattisgarh

(S.S. Bajaj)
Special Secretary
Housing & Environment Department
Mantralay, Raipur

छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग,
डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

// अधिसूचना //

रायपुर, दिनांक 7 /07/2006.

क्रमांक 1385 /1274/32/2002 छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 64 की उपधारा(1) तथा धारा 65 की उपधारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा अधिसूचना क्र.-10/स/आ.प./2002 रायपुर दिनांक 8 जनवरी 2002 में निम्नांकित संशोधन करता है :-

1. उक्त अधिसूचना के द्वारा गठित विशेष क्षेत्र को ''राजधानी क्षेत्र'' के स्थान पर ''नया रायपुर'' के नाम से जाना जायेगा ।
2. उक्त विशेष क्षेत्र हेतु गठित ''राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण'' को अधिनियम की धारा 65 की उपधारा (1) के अतंर्गत ''नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी'' के नाम से जाना जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
7/7
(एस.एस. बजाज)
विशेष सचिव,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

पृ.क्र.- 1386 /1274/32/02
रायपुर दिनांक 7 /07/2006

प्रतिलिपिः-

1. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, छ.ग. शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, रायपुर।
2. निज सचिव माननीय, मंत्री आवास एवं पर्यावरण विभाग, छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
3. निज सचिव, माननीय मंत्री, राज्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग।
4. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय, छ.ग. शासन, मंत्रालय रायपुर।
5. प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय रायपुर ।
6. प्रमुख सचिव राजस्व विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय रायपुर ।
7. संभागायुक्त, रायपुर संभाग।
8. कलेक्टर, रायपुर ।
9. संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रायपुर ।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर ।
11. नियंत्रक शासकीय मुद्रणालय, राजनांदगांव को राजपत्र में प्रकाशन हेतु ।

विशेष सचिव,
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय रायपुर

C.E.O.
CADA, RAIPUR

छत्तीसगढ़ शा_ _,,
आवास एवं पर्यावरण विभाग,
डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर

// अधिसूचना //

रायपुर, दिनांक 19/02/2007.

क्रमांक–322 /1274/32/2002 छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 64 की उपधारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक–10/स.आ.प्र./2002 रायपुर दिनांक 8 जनवरी, 2002 द्वारा गठित नया रायपुर क्षेत्र में नीचे अनुसूची–एक में दिये गये क्षेत्र को अपवर्जित करती है । पुनर्गठित नया रायपुर क्षेत्र की सीमा नीचे अनुसूची–दो में दिये गये अनुसार होगी ।

अनुसूची– एक

नया रायपुर क्षेत्र से अपवर्जित किया गया क्षेत्र :–

छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 64 की उपधारा (1) तथा (2) के अंतर्गत गठित नया रायपुर क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम कचना, पिरदा, तुलसी, कुरूद, नकटा, दरबा, बकतरा (प.ह.नं.–75/10), खुटेरी, जरौद, रीवा, गुजरा, धमनी, थनौद, खरखराडीह, नवागांव (प.ह.नं.–142), बकतरा (प.ह.नं.–134), सिंगारभाठा, भटगांव, धनेली एवं बोरियाकला ।

अनुसूची– दो

पुनर्गठित नया रायपुर क्षेत्र की सीमाएँ :–

उत्तर : तहसील रायपुर के ग्राम सेरीखेड़ी तथा तहसील आरंग के ग्राम मंदिरहसौद, छतौना, नवागांव (प.ह.नं.–75/10) परसदा एवं उमरिया की उत्तरी सीमा।

पूर्व : तहसील आरंग के ग्राम उमरिया, परसदा, पलौद, कोटनी तांदुल एवं पौता, तथा अभनपुर तहसील के ग्राम चेरिया, कुर्रू एवं पचेड़ा की पूर्वी सीमा ।

दक्षिण : तहसील अभनपुर के ग्राम केन्द्री, झांकी, मुड़पार एवं पचेड़ा की दक्षिणी सीमा ।

पश्चिम : तहसील रायपुर के ग्राम सेरीखेड़ी, धरमपुरा, टेमरी, बनरसी, माना एवं अभनपुर तहसील के ग्राम निमोरा, बेन्द्री, केन्द्री, एवं झांकी की पश्चिमी सीमा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एस.एस. बजाज)
विशेष सचिव,
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय रायपुर

आदेश

रायपुर, दिनांक 25.08.2005

क्रमांक / 416/आ.पर्या. / 2005 विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10.08.2005 के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि रायपुर जिले की आरंग एवं अभनपुर तहसील के निम्नलिखित 20 ग्रामों में जमीन के खरीदी–बिक्री की रजिस्ट्री "नया रायपुर" उपनगर की विकास योजना प्रकाशित होने तक बिना कलेक्टर की अनुमति के न हो ।

तहसील का नाम	ग्राम का नाम
1. आरंग	1. छतौना 2. रीको 3. चीचा 4. झांझ 5. नवागांव 6. रोंध 7. परसदा 8. पलौद 9. कोटनी 10. तांदुल
2. अभनपुर	1. तूता 2. उपरवारा 3. खंडवा 4. तेंदुआ 5. पौंता 6. बंजारी 7. चेरिया 8. कुर्रू 9. पचेड़ा 10. मुड़पार उर्फ गेलवाडीह

(एस.एस. बजाज)
विशेष सचिव,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

पृ.क्रमांक / /आ.पर्या. / 2005

रायपुर, दिनांक 25.08.2005

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय रायपुर
2. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर
3. कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

विशेष सचिव,
आवास एवं पर्यावरण विभाग